



# HIMACHAL PRADESH BOARD OF SCHOOL EDUCATION, DHARAMSHALA-176215

Hi.Shi.Bo.(39)/Academic/03/Vol-V/2025/ 1797-1896

Dated: 26/11/2025

## "NOTIFICATION"

The Chairman, Himachal Pradesh Board of School Education in exercise of the powers vested in him under section 19(3) of The Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 is pleased to implement the policy of two Board Examinations for Class 10<sup>th</sup> from March, 2026 Examination.

### Background

Para 4.37 of National Education Policy-2020 stipulate that Board exams will also be made 'easier', in the sense that they will test primarily core capacities/competencies rather than months of coaching and memorization; any student who has been going to and making a basic effort in a school class will be able to pass and do well in the corresponding subject Board Exam without much additional effort. To further eliminate the 'high stakes' aspect of Board Exams, all students will be allowed to take Board Exams on up to two occasions during any given school year, one main examination and one for improvement, if desired.

In view of the above, as per NEP-2020, Himachal Pradesh Board of School Education has decided to implement the policy of two-time Board Examinations for classes 10<sup>th</sup> from the Academic Session 2025-2026.

### Scheme of Two-time Board Examinations

#### 1. General Instructions :-

- (i) There should be two exams for Matriculation during each academic year.
  - (a) The 1<sup>st</sup> exam which is conducted during February- March shall be known as the **"MAIN EXAM"**.
  - (b) The 2<sup>nd</sup> exam which is conducted during June-July shall be known as the **"IMPROVEMENT EXAM"**.
- (ii) It is mandatory for all the students to appear in the **"MAIN EXAM"**.
- (iii) On the basis of result of main examination (1<sup>st</sup> exam) the students will be divided into three distinct categories.

| Sr. No. | Results                                                                            | Category              | Remarks                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1.      | Students passed in three subjects out of five compulsory subjects.                 | Essential Improvement | Eligible for 2 <sup>nd</sup> exam.     |
| 2.      | Passed                                                                             | Optional Improvement  | -do-                                   |
| 3.      | Students failed to qualify atleast three subjects out of five compulsory subjects. | Essential Repeat      | Not eligible for 2 <sup>nd</sup> exam. |

(a) **Essential Improvement.** This category shall include those students who have passed atleast three subjects out of five compulsory subjects. They shall be allowed to be appear in 2<sup>nd</sup> exam in two subjects. If they qualify both these subjects in 2<sup>nd</sup> exam then he/she shall be declared pass. If they qualify only one subject in 2<sup>nd</sup> exam, they shall be placed under compartment category. If they don't qualify in both the subjects, he/she shall be placed in **"Essential Repeat"** category. Provided further that they shall also be allowed to give improvement exam in one subject out of three subjects already passed by him/her.

(b) **Optional Improvement.** Any candidate who has passed the 1<sup>st</sup> exam in all compulsory subjects and wishes to improve his/her performance shall be allowed to do so in only three subjects out of five compulsory subjects.

(c) **Essential Repeat Category.** Any candidate who has failed to qualify atleast three subjects out of five compulsory subjects shall not be allowed to take 2<sup>nd</sup> exam and shall be placed in **Essential Repeat Category**. Such candidate shall be allowed appear during main exam in next academic session.

(iv) For students whose result in the first examination is Compartment, such students will be allowed to appear in second examination under Compartment Category.

2. **Scheme for Special Categories :-**

(i) **Sports Category :**

(a) Any student who could not appear in one or more subject(s) during first exam due to sports activities shall be allowed to appear in remaining exams during 2<sup>nd</sup> exam.

(ii) **Winter Bound School :**

(a) Any student who could not appear in one or more subject(s) due to inclement or adverse weather condition shall be allowed to appear in 2<sup>nd</sup> exam in remaining subjects.

(iii) **Sickness or other Circumstances :**

(a) In case of sickness or other circumstances like accident etc. such students shall be allowed to appear in one or more subjects in 2<sup>nd</sup> exam on making written request to the Chairman of the Board and subject to other formalities as laid in Examination Regulations.

No special exam will be conducted for categories mentioned above at Sr. No 2(i) to (iii) separately.

Any of the special categories fail who to qualify Matriculation Examination shall be placed under "**Essential Repeat Category**" and will be eligible for Matriculation Examination in March in next year.

3. **Conduct of Internal Assessment :-**

Internal assessment will be conducted only once before the main examinations.

4. **Conduct of Practical :-**

(i) In case of the subject with practicals, marks obtained by the student during main exam shall be counted for result preparation and no separate practical exam would be conducted during improvement exam.

(ii) In case any candidate has failed to give practical exam during main exam due to reasons beyond his/her control, he/she shall be allowed to appear in practical on making written request to the Chairman and on furnishing adequate evidence.

5. **Syllabus and Scheme of Examinations:-**

(i) Both the examinations shall be conducted in full syllabus meant for the year.

(ii) The scheme of studies and scheme of examinations shall be remains the same.

6. **Submission for the examinations Forms:-**

(i) Filling of examination forms and appearing in the Main/first examination will be compulsory except special categories.

(ii) Examinations forms for the 2nd examinations will be filled within 15 days from the declaration of 1<sup>st</sup> Examination Result with fee prescribed for compartment category by Himachal Pradesh Board of School Education from time to time. However, no fresh candidates will be added for 2nd examination.



(iii) Subject change will not be allowed from main examination to improvement exam except permitted as per policy.

(iv) Examination Centres for 1<sup>st</sup> Examination and 2<sup>nd</sup> Examination will be fixed as per norms in rule 9.1.2 of the Regulations.

**7. Additional Subject**

(i) Additional subject will be permitted to only those candidates who have qualified in Matriculation examination in main exam.

(ii) Candidate from other equivalent Boards who have passed the Matriculation exam and wish to pass additional subject shall be allowed to appear in main exam.

**8. Result Declaration :-**

(i) Result of all the students will be declared as per Examination Bye-Laws.

(ii) Result of First examinations will be declared in the month of April/May.

(iii) Result of second examinations will be declared in the month of July/August.

(iv) Performance of main examination will be made available in Digi-Locker. This could be used for admission to class XI if the student does not wish to appear in 2<sup>nd</sup> examinations for improvement. Passing document will be issued to all the students only after the results of Second examinations.

(v) Better of the two examination result/marks will be awarded to students.

**9. Post Result Facilities :-**

Facilities of Photocopy, verification and re-evaluation will be available after declaration of results as per existing rules.

**10. Admission in Class XI :-**

Students placed in essential improvement category shall be allowed provisional admission in class 11<sup>th</sup> subject to the condition that they should have to qualify Matriculation before or simultaneous to 10+1 exam as per HPBoSE Examination Regulations.

**The Chairman, Himachal Pradesh Board of School Education shall be competent to relax/amend any provision of the policy of dual Examinations.**

  
Dr.(Major) Vishal Sharma, HPAS  
Secretary

Endst.No. As above

Copy of above forwarded to the following for information and necessary action.

1. The Secretary (Education) to the Govt. of H.P, Shimla-2.
2. Director School Education Himachal Pradesh Shimla-1.
3. State Project Director (SS) H.P. Shimla-1.
4. All Deputy Director Higher/Elementary Education in H.P.
5. Sr./Jr. Scale Stenographer to the Chairman and Secretary, HPBOSE Dharamshala.
6. All Deputy and Assistant Secretaries of H.P. Board of School Education.
7. Section Officer, General Branch with the direction to place the matter before the forthcoming meeting of the B.O.D. for ratification.
8. Section Officer IT Cell to upload the notification on the Board website.
9. All Section Officers, HPBoSE.
10. Guard File.

  
Dr.(Major) Vishal Sharma, HPAS  
Secretary



## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215

**Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215**

हि0शि0बो0 (39)/शैक्षणिक/03/भाग-V/2025/ 1797-1896

दिनांक: 26/11/2025

### “अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, मार्च, 2026 से कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति को लागू करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

#### पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पैरा 4.37 में यह प्रावधान है कि बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा, यानी वे महीनों की कोचिंग और रटने की बजाय मुख्य रूप से मूल क्षमताएँ/योग्यताएँ का परीक्षण करेंगी; कोई भी विद्यार्थी जो स्कूल की कक्षा में जाकर बुनियादी प्रयास कर रहा है, वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संबंधित विषय की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेगा और बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। बोर्ड परीक्षाओं के अत्यधिक जोखिम वाले पहलू को और कम करने के लिए, सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी, एक मुख्य परीक्षा और एक, यदि वे चाहें तो सुधार के लिए दूसरी परीक्षा।

उपरोक्त के मद्देनजर, एन.ई.पी.-2020 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से 10वीं कक्षा के लिए दो बार बोर्ड परीक्षाओं की नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

#### दो बार बोर्ड परीक्षा की योजना

##### 1. सामान्य अनुदेश:-

(i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में मैट्रिक के लिए दो परीक्षाएं होंगी।

(क) फरवरी-मार्च माह के दौरान आयोजित होने वाली प्रथम परीक्षा को “मुख्य परीक्षा” के रूप में जाना जाएगा।

(ख) दूसरी परीक्षा जो जून-जुलाई के दौरान आयोजित की जाएगी, उसे “सुधार परीक्षा” के रूप में जाना जाएगा।

(ii) सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(iii) मुख्य परीक्षा (प्रथम परीक्षा) के परिणाम के आधार पर छात्रों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

| क्रमांक | परिणाम                                                                                  | श्रेणी                                      | टिप्पणी                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| क       | जो विद्यार्थी पांच अनिवार्य विषयों में से तीन विषयों में उत्तीर्ण हुए।                  | आवश्यक सुधार (Essential Improvement)        | द्वितीय परीक्षा के लिए पात्र।    |
| ख       | उत्तीर्ण                                                                                | वैकल्पिक पुनारवृत्ति (Optional Improvement) | द्वितीय परीक्षा के लिए पात्र।    |
| ग       | जो विद्यार्थी पांच अनिवार्य विषयों में से कम से कम तीन विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। | आवश्यक दोहराव (Essential Repeat)            | दूसरी परीक्षा के लिए पात्र नहीं। |





**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215**  
**Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215**

-2-

(क) **आवश्यक सुधार (Essential Improvement)**:- इस श्रेणी में वे विद्यार्थी शामिल होंगे जिन्होंने पाँच अनिवार्य विषयों में से कम से कम तीन विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त की है। उन्हें दो विषयों में द्वितीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे द्वितीय परीक्षा में इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यदि वे द्वितीय परीक्षा में केवल एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो उन्हें कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। यदि वे दोनों विषयों में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन्हें आवश्यक पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण किये गये 3 विषयों में से उन्हें किसी एक विषय में भी सुधार परीक्षा देने की अनुमति होगी।

(ख) **वैकल्पिक सुधार (Optional Improvement)** :- कोई भी विद्यार्थी जिसने सभी अनिवार्य विषयों में प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहता है, उसे पाँच अनिवार्य विषयों में से केवल तीन विषयों में ही सुधार करने की अनुमति होगी।

(ग) **अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी (Essential Repeat)** :- कोई भी विद्यार्थी जो पाँच अनिवार्य विषयों में से कम से कम तीन विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, उसे दूसरी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थी अगले शैक्षणिक सत्र की मुख्य परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

(iv) जिन विद्यार्थियों का प्रथम परीक्षा परिणाम कम्पार्टमेंट है, ऐसे विद्यार्थियों को कम्पार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

**2. विशेष श्रेणियों के लिए योजना:-**

(i) **खेल श्रेणी:-** कोई भी विद्यार्थी जो खेल गतिविधियों के कारण प्रथम परीक्षा के दौरान एक या एक से अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हो सका, उसे दूसरी परीक्षा के दौरान शेष परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) **शीतकालीन बाध्य स्कूल:-** कोई भी विद्यार्थी जो खराब या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण एक या एक से अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हो सका, उसे शेष विषयों में दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) **बीमारी या अन्य परिस्थितियाँ:-** बीमारी या अन्य परिस्थितियों जैसे दुर्घटना आदि के मामले में ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित अनुरोध करने पर और परीक्षा विनियमों में निर्धारित अन्य औपचारिकताओं के अधीन द्वितीय परीक्षा में एक या अधिक विषयों में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त क्रमांक 2 (i) से (iii) तक दर्शित श्रेणियों के लिए अलग से कोई विशेष परीक्षा/दूसरी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

विशेष श्रेणी का कोई भी विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा व अगले वर्ष मार्च में ही परीक्षा देने के लिये पात्र होगा।



## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215

**Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215**

-3-

3. **आंतरिक मूल्यांकन का संचालन:-** मुख्य परीक्षा (प्रथम परीक्षा) से पूर्व केवल एक बार ही आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।
4. **प्रेक्टिकल का संचालन:-**
  - (i) प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय के मामले में, मुख्य परीक्षा से पूर्व विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए जोड़ा जाएगा और सुधार परीक्षा के दौरान कोई अलग प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
  - (ii) यदि कोई विद्यार्थी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से मुख्य परीक्षा के दौरान प्रायोगिक परीक्षा देने में असफल रहा है, तो उसे बोर्ड अध्यक्ष से लिखित अनुरोध करने तथा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
5. **पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना:-**
  - (i) दोनों परीक्षाएं निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।
  - (ii) दोनों परीक्षाओं के लिए अध्ययन और परीक्षा की योजना एक समान रहेगी।
6. **परीक्षा हेतु फॉर्म जमा करना:-**
  - (i) विशेष श्रेणियों को छोड़कर परीक्षा फॉर्म भरना और मुख्य परीक्षा (प्रथम परीक्षा) में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
  - (ii) द्वितीय परीक्षा के लिए फॉर्म प्रथम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर भरे जाएंगे, तथा द्वितीय परीक्षा के लिए वही शुल्क देय होगा जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर कम्पार्टमेंट श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है। द्वितीय परीक्षा के लिए कोई भी नया विद्यार्थी नामांकित नहीं किया जायेगा।
  - (iii) नीति अनुसार मुख्य परीक्षा से सुधार परीक्षा के मध्य में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - (iv) प्रथम परीक्षा और द्वितीय परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र विनियमन के नियम 9.1.2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार तय किए जाएंगे।
7. **अतिरिक्त विषय:-**
  - (i) अतिरिक्त विषय की अनुमति केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी जो मुख्य परीक्षा में दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।
  - (ii) अन्य समकक्ष बोर्ड के विद्यार्थी जिन्होंने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।



**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215**  
**Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215**

-4-

**8. परिणाम की घोषणा:-**

(i) सभी विद्यार्थियों का परिणाम परीक्षा उपनियमों के अनुसार घोषित किया जाएगा।

(ii) प्रथम परीक्षा का परिणाम अप्रैल/मई माह में घोषित किया जाएगा।

(iii) द्वितीय परीक्षा का परिणाम जुलाई/अगस्त माह में घोषित किया जाएगा।

(iv) मुख्य परीक्षा का प्रमाण पत्र डिजी-लॉकर में उपलब्ध होगा। यदि कोई विद्यार्थी सुधार परीक्षा के लिए द्वितीय परीक्षा नहीं देना चाहता है, तो इस प्रमाण पत्र का उपयोग जमा एक कक्षा में प्रवेश के लिए किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र द्वितीय परीक्षा के परिणाम के बाद ही जारी किया जाएगा।

(v) दोनों में से बेहतर परीक्षा परिणाम/अंक छात्रों को प्रदान किए जाएंगे।

**9. परिणाम पश्चात सुविधाएं:-** मौजूदा नियमों के अनुसार परिणाम घोषित होने के पश्चात परीक्षा परिणाम सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन/पुनर्नरीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

**10. कक्षा जमा एक में प्रवेश:-** आवश्यक सुधार श्रेणी में रखे गए विद्यार्थियों को कक्षा जमा एक में अस्थाई प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उन्हें शिक्षा बोर्ड के परीक्षा विनियमों के अनुसार कक्षा जमा एक की परीक्षा से पूर्व या उसके साथ कक्षा दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उपरोक्त नीति में किसी प्रकार में छूट/संशोधन के लिये सक्षम होंगे।

(डॉ० (मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०)  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, हि०प्र० शिमला-1
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, हि०प्र० सरकार, शिमला-1
4. समस्त उप निदेशक, उच्चतर व प्रारम्भिक शिक्षा, हि० प्र०।
5. वरिष्ठ/कनिष्ठ आशुलिपिक, निजी कक्ष (अध्यक्ष/सचिव), हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला।
6. समस्त उप/सहायक सचिव, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला।
7. अनुभाग अधिकारी, समानय शाखा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को संपुष्टि हेतु बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करें।
8. प्रभारी, आई०टी० सैल को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना को बोर्ड की बैवसाइट पर अपलोड करें।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला।
10. रक्षक नस्ति।

(डॉ० (मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०)  
सचिव